

कायालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone - 07868-222006 (C), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि/2020/ 908

कांकेर, दिनांक 6 /05/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय - Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha. reg.
पंजीयन क्रमांक-FP/Road/27773/2017

संदर्भ - 1.अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व.सं.अ) रायपुर छ.ग. के कार्यालयीन पत्र क्र/भू-प्रबंध/विविध/115-720/26 दिनांक 07.01.2020।
2. प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक, नाथियानवागांव, कांकेर छ.ग. के कार्यालयीन पत्र क्र./1635 दिनांक 24.04.2020

--00--

विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि 4.309 हे. का प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की गई थी। जिसमें 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी के समावेश हेतु प्रस्ताव संदर्भ पत्र के तहत मूलतः वापस की गई है। अतिरिक्त बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर संदर्भ पत्र क्र. 2 के माध्यम से प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक नाथियानवागांव, कांकेर द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है।

उनके प्रतिवेदन अनुसार चाही गई अतिरिक्त बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	आपत्ति	उत्तर
1	बिन्दु क्र. 18 में मुख्य वन संरक्षक कांकेर के पत्र दिनांक 16.08.2019 का हवाला देते हुए लेख किया गया है कि वनमण्डलाधिकारी कांकेर द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकेर को 0.999 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी गई है, जिसमें शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया गया है। उपरोक्त व्यपवर्तित	वनमण्डलाधिकारी के कार्यालय पत्र क्र. 4733 दिनांक 03.05.2013 द्वारा प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर को Skill Upgradation or Vocational Training Centers हेतु 0.999 हे. भूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु विपथन की अनुमति दी गई है। जिसमें प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर के द्वारा 0.231 हे. में पॉलिटेक्निक भवन, बालक छात्रावास भवन 0.600 हे. में तथा पहुंच मार्ग 0.135 हे. में बनाया जा चुका है। दिनांक 03.05.2013 एवं मुख्य वन संरक्षक कांकेर के कार्यालयीन पत्र

<p>0.999 हे. में 3.310 हे. जोड़कर कूल 4.309 हे. के व्यपवर्तन की अनुमति राज्य शासन स्तर से चाही गई है। उक्त बिन्दु क्र.18 में उल्लेखित वनमण्डलाधिकारी कांकेर के अनुमति पत्र दिनांक 03.05.2013 एवं मुख्य वन संरक्षक के पत्र दिनांक 16.08.2019 की छायाप्रति तथा वनमण्डलाधिकारी कांकेर के उक्त पत्र दिनांक 03.05.2013 में निहित शर्तों का अघतन पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।</p>	<p>दिनांक 16.08.2019 की छायाप्रति संलग्न है।</p>
<p>2 उपरोक्त बिन्दु से यह स्पष्ट है कि 0.999 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन हो चुका है ऐसी स्थिति में उसी क्षेत्र को दोबारा क्यों व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है? पूर्व की अनुमति का उल्लेख करते हुए शेष वन क्षेत्र 3.310 हे. का प्रस्ताव अतिरिक्त मांग (औचित्य सहित) के रूप में प्रेषित करें।</p>	<p>प्राचार्य शासकीय पॉलिटैक्निक कांकेर को 0.999 हे. विपथित भूमि के अतिरिक्त 3.310 हे. भूमि की और आवश्यकता है, जिसमें 0.999 हे. भूमि को जोड़कर 4.309 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित की गई है।</p> <p>अतः प्राचार्य शासकीय पॉलिटैक्निक कांकेर को 4.309 हे. वन भूमि को गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की जाती है।</p>
<p>3 वनमण्डलाधिकारी कांकेर द्वारा पूर्व में 0.999 हे. व्यपवर्तित वन क्षेत्र का NPV लिया गया होगा किन्तु अब पुनः उक्त 0.999 हे. भूमि को जोड़कर 4.309 हे. के प्रस्ताव में पृष्ठ क्र. 114 में NPV की गणना की गई है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।</p>	<p>धारा 3 (2) के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु विपथित भूमि का पूर्व में किसी भी प्रकार से प्रत्याशा मूल्य की राशि वसूल नहीं की गई है। विपथित भूमि को जोड़कर F.C.A प्रकरण 4.309 हे. का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के कारण 0.999 एवं 3.310 हे. कूल 4.309 हे. का N.P.V की गणना की गई है। मान्य करने हेतु अनुरोध है।</p>

4 प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 71 में आवेदित वन भूमि की मदवार आवश्यकता का ब्यौरा दिया गया है। इसमें शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हेतु 0.231 हे. दर्शाया गया है तथा पूर्व में व्यपवर्तित 0.999 हे. वन भूमि में कितनी कितनी भूमि किस-किस नाम से उपयोग की गई है मदवार ब्यौरा प्रेषित करें तथा मदवार ब्यौरा में अतिरिक्त 3.310 हे. किस-किस मद में आबंटित है। इसका विस्तृत ब्यौरा प्रेषित करे।

प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 71 में दी गई मदवार आवश्यक ब्यौरा के अनुसार पूर्व में विपथित भूमि 0.999 हे. में की गई निर्माण कार्य तथा अतिरिक्त कार्य जो प्रस्तावित है, की जानकारी प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कांकर के पत्र क्र 1635 दिनांक 24.04.2020 के प्रतिवेदन अनुसार (छायाप्रति संलग्न) ब्यौरा निम्न है:-

(A) विपथित भूमि 0.999 हे. में किये गये निर्माण कार्य की जानकारी निम्नानुसार है:-

No.	Name of construction	Area(he.)	Remark
1	Govt. Polytechnic Collage Kanker (Building)	0.231 he.	Completed
2	Male Hostel	0.600 he.	Proposed area
3	Approach road	0.135 he.	Completed

(B) प्रस्तावित भूमि 3.310 हे. में किये जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्य की जानकारी निम्नानुसार है :-

No.	Name of construction	Area he.	Remark
1	I Type 8. Nos Quater	0.190 he.	Proposed area
2	G Type 4. Nos Quarter	0.270 he.	Proposed area
3	F- Type 12. Nos Quarter	0.650 he.	Proposed area
4	Play Ground (football,cricket, badminton, basketball)	1.500 he.	Proposed area
5	Principal House	0.190 he.	Proposed area
6	Girls, Hostel	0.400 he.	Proposed area
7	Ground	0.143 he.	Proposed area
Grand Total-		4.309 he.	

<p>5 प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 30, 31 में वन भूमि की आवश्यकता को न्यूनतम बताया गया है जबकि मुख्य वन संरक्षक कांकेर के पत्र दिनांक 16.08.2019 अनुसार पूर्व में व्यपवर्तित 0.999 हे. वन भूमि में शासकीय पॉलिटैक्निक कॉलेज का निर्माण किया जा चुका है। कृपया न्यूनतम आवश्यकता संबंधी प्रमाण पत्र पर उचित कारण दर्शाते हुए टीप प्रेषित करें।</p>	<p>प्रस्ताव के पृ.क्र 30 में वन भूमि की मांग न्यूनतम उल्लेखित है, जो सही है क्योंकि प्रकरण में पॉलिटैक्निक भवन के साथ-साथ अन्य आवश्यक भवन की आवश्यकता है, प्राचार्य शासकीय पॉलिटैक्निक कांकेर के मांग अनुसार 4.309 हे. भूमि का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित की गई है जो कि प्रस्ताव के पृ.क्र. 31 में मदवार उल्लेख है।</p> <p>अतः प्रकरण में आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव के पृ.क्र. 31 के अनुसार मान्य करते हुए स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।</p>
---	--

प्रकरण में चाही गई अतिरिक्त जानकारी को ऑनलाईन मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट क्लिरेंस की वेबसाईट में ई.डी.एस कर टाईम लाईन डिटेल्स की प्रति के साथ प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट (व्यपवर्तन/वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि) की 4-4 प्रति के.एम.एल फाईल सेफ फाईल की सॉफ्ट/हार्ड प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृ. क्रमांक/मा.चि./2020/ 909

प्रतिलिपि -1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर को संदर्भित पत्र क्र. 1 के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. प्राचार्य शासकीय पॉलिटैक्निक, नाथियानवागांव, कांकेर छ.ग. की ओर उनके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी

कांकेर वन मण्डल कांकेर

कांकेर, दिनांक 06/05/2020

वन मण्डलाधिकारी

कांकेर वन मण्डल कांकेर